विज्ञप्ति

नगर पालिका परिषद चमोली–गोपेश्वर द्वारा बस स्टेशन गोपेश्वर के समीप निर्मित पार्किंग स्थल एवं बहुउद्देशीय भवन के चतुर्थ तल पर निर्मित दुकानों को प्रीमियम किराये पर दिये जाने हेतु दिनांक–15.11.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निम्न शर्तों के अधीन प्रीमियम निविदा आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है। दुकानों को लॉटरी सिस्टम से दिनांक–17.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे से कार्य समाप्ति समय तक आंवटित की जायेगी। साथ ही जनपद की बेंवसाइट http://chamoli.nic.in में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत देखा जा सकता है। दुकानों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0	कुल दुकान	अनुसूचित जाति	अनु0जन जाति	महिला	पिछड़ा वर्ग
1	12	01 (दुकान न0–12)	01(दुकान न0–11)	01(दुकान न0–09)	01(दुकान न0–8)

शर्तें:–

1. दुकानों के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति नगर पालिका परिषद चमोली–गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत का निवासी होगा। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि अभिलेख प्रस्तुत करने होगें।
2. दुकानों की प्रीमियम हेतु रू0–50,000.00 की धरोहर धनराशि होगी।
3. दुकान आवेदन पत्र का मूल्य रू0–2000.00 के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0/वैट की धनराशि होगी। तथा आवेदन पत्र दिनांक–14.11.2017 को कार्यालय समय तक बेची जायेगी। पालिका द्वारा दिया गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा।
4. निर्मित 12 दुकानों में से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिला को एक–एक दुकानें तथा शेष दुकान सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गयी है। सभी दुकानों का प्रिमियम रू0– 7.00 लाख निर्धारित है।
5. दुकान के लिए निर्धारित प्रिमियम वापस नहीं होगा बल्कि प्रथम पांच वर्ष के लिए रू0–15 प्रति वर्ग फिट की दर से किराया निर्धारित होगा। जो अग्रिम वर्षो तक किराये के रूप में समायोजित होगा । साथ ही प्रतिमाह पालिका के यूजर चार्जेज नियमावली के अनुसार यूजर चार्जेज पालिका को देना होगा।
6. दुकानों आवंटन के पांच साल बाद उस समय के बोर्ड द्वारा निर्धारित किराया देना होगा। जो 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा। तथा दुकान किसी भी रूप में सबलेट नहीं होगी। यदि पालिका को पता चला कि जिस व्यक्ति के नाम दुकान आंवटित हुई है। के द्वारा दुकान किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी है तो तुरन्त उससे दुकान खाली करवा ली जायेगी। तथा जिस व्यक्ति को प्रथम बार दुकान आंवटित हुई थी। उसकी शेष समायोजित होने वाली राशि जब्त करते हुए दुकान खाली करवा ली जायेगी।
7. दुकानों का आवंटन लाटरी सिस्टम से होगा तथा प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग लाटरी निकाली जायेगी। इस प्रकार आवेदक दुकान न0 के हिसाब से ही आवेदन करेगा। आरक्षित दुकानों के लिए उसी वर्ग का व्यक्ति आवेदन करेगा।
8. जिस व्यक्ति के नाम दुकान निकलेगी उसे कार्य दिवस के तीन दिन अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायगी।
9. दुकान आवंटन होने पर बिजली, पानी, कनैक्शन आदि लाभार्थी का होगा।
10. दुकान आवंटन के बाद लाभार्थी द्वारा दिये गये प्रिमियम पर 2 प्रतिशत के बराबर स्टाम्प लगाने होगें। जिस पर अलग से अनुबन्ध होगा। लाभार्थी लीज एग्रीमेन्ट रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करवा सकता है। जिसका व्यय लाभार्थी द्वारा वहन करना होगा।
11. यदि किसी दुकान पर एक ही निविदा/आवेदन पत्र प्राप्त होगा ओर व शर्ते पूर्ण करता हो तो भी स्वीकार कर लिया जायेगा।
12. उपरोक्त शर्तो के अधीन आमंत्रित निविदा/लॉटरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा/लॉटरी को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

अधिशासी अधिकारी **अध्यक्ष**

नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर।

!!कार्यालय नगर पालिका परिशद, चमोली–गोपेश्वर!!

संख्या–843 /दुकान/2017–18/दिनांक–02 नवम्बर 2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, चमोली।
2. सम्पादक ....इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने दैनिक समाचार पत्र में उक्त सूचना को रू0–.............................. के अन्तर्गत प्रकाशित करते बिल भुगतान हेतु कार्यालय को प्रस्तुत करें।
3. एन0आई0सी0 चमोली को जनपद की बेवसाइट http://.chamoli.nic.in मे नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत विस्तृत प्रचार–प्रसार के लिए अपलोड किये जाने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
चमोली–गोपेश्वर।